न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह

अध्यक्ष

निगरनी प्रकरण कमांक 780–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–2–14 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 193/अपील/12–13.

श्रीमती पुष्पाबाई पत्नी रामसेवक मेहरा
निवासी ग्राम अन्हाई ग्राम कोटवार अन्हाई
तहसील बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद .....आवेदिका

विरूद्ध

1– संदीप वल्द गंगाराम मेहरा
2– सुरेश कुमार आत्मज भैयाजी लुहार
3– रमेश आत्मज बारेलाल
4– दंगलसिंह आत्मज रामदास अहिरवार
5– श्रीमती रामफल बाई बेवा नाथूराम मेहरा
निवासीगण ग्राम अन्हाई
तहसील बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद .....अनावेदकगण

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, आवेदिका
श्री सुनील सिंह चौहान, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 15 जनवरी, 2015)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश 20–2–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम अन्हाई तहसील बनखेड़ी जिला होशंगाबाद के कोटवार नाथूराम आत्मज मूलचंद मेहरा द्वारा उसकी वृद्धावस्था होने एवं लकवा मारे जाने के कारण शासकीय कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए कोटवार पद से इस्तीफा प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार, बनखेड़ी जिला होशंगाबाद द्वारा कोटवार

की स्थिति पर विचार करते हुए इस्तीफा स्वीकार की जाकर नवीन कोटवार की नियुक्ति हेतु इश्तहार जारी किया गया । इश्तहार जारी होने पर उभय पक्ष द्वारा कोटवार पद हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 26–6–12 को आदेश पारित कर आवेदिका पुष्पा बाई पत्नी रामसेवक मेहरा की कोटवार पद पर अस्थाई नियुक्ति की गई । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, पिपरिया जिला होशंगाबाद के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 3–5–2013 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 26–6–12 निरस्त करते हुए अनावेदक कमांक 1 संदीप मेहरा को कोटवार पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर आयुक्त द्वारा 20–2–14 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 230 के अंतर्गत बने कोटवारी नियमों का पालन करते हुए विधिवत आवेदिका की नियुक्ति अस्थाई कोटवार के पद पर की गई थी, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसीलदार के समक्ष अपनी नियुक्ति हेतु कोई रूचि नहीं ली गई, और न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, इसलिए तहसीलदार द्वारा अनावेदक कमांक 1 का आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है, जिस पर बिना विचार किए अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदिका की नियुक्ति कोटवारी पद पर संहिता की धारा 230 के अंतर्गत भूतपूर्व कोटवार के निकट संबंधी होने से अग्रमान्यता देते हुए की गई थी, जबकि अग्रमान्यता के बिन्दु पर अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत उभय पक्ष के आवेदन पत्रों पर विस्तार से विवेचना करते हुए आदेश पारित किया गया है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा आवेदिका की अस्थाई कोटवार पद पर की गई नियुक्ति पूर्णतः वैध है, जिसे निरस्त करने में अधीनस्थ अपीलीय

न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है । तर्कों के समर्थन में 2000 आर.एन. 55, 1986 आर.एन. 423 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए गए ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं :–

(1) अनावेदक ग्राम अन्हाई का ही मूल निवासी है एवं सरपंच द्वारा अनावेदक को ग्राम अन्हाई में कोटवार नियुक्त किए जाने की अनुशंसा भी की गई है ।

(2) आवेदिका कक्षा 5वीं पास नहीं है, उसे कुछ भी पढ़ना–लिखना नहीं आता है, उसे किताब तक पढ़ना नहीं आता है । आवेदक के पति रामसेवक मेहरा जो कि अन्हाई में ही स्कूल के हेडमास्टर हैं, संस्था प्रधान हैं, उन्हीं के द्वारा कक्षा 5वीं की वर्ष 2008 की अंकसूची लगाई गई है, जो कि फर्जी मार्कसीट है, जिसे आवेदिका के पति द्वारा स्वयं बनाकर तैयार किया गया है । प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा वर्ष 2007–2008 प्रवेश पंजी 43 अनुकमांक 142 पर पुष्पाबाई माता श्रीमती जिज्जोबाई पिता राधेलाल आयु 16–6–76 हिन्दी माध्यम शाला शासकीय EGS कुशवाह टोला अन्हाई विकास खण्ड बनखेड़ी का 5वीं पास की अंकसूची पास की लगाई गई है, वह फर्जी अंकसूची है, क्योंकि शाला प्रवेश स्कालर कमांक 43 अन्य महिला हल्कीबाई माता गुमताबाई पिता जीवन शा.स्कूल EGS शा. अन्हाई तहसील बनखेड़ी जिला होशंगाबाद पहली उत्तीर्ण कक्षा का है, जो अन्य लड़की की मार्कसीट है । आवेदिका श्रीमती पुष्पाबाई की 5वीं पास फर्जी अंकसूची है ।

(3) आवेदिका श्रीमती पुष्पाबाई गरीब महिला नहीं है बल्कि आवेदिका का पति रामसेवक स्वयं उसी स्कूल EGS शा. कुशवाह टोला अन्हाई तहसील बनखेड़ी जिला होशंगाबाद में संस्थान प्रधान है । आवेदिका के पति द्वारा ही अपनी पत्नी की फर्जी अंकसूची बनाई गई है ।

(4) तहसीलदार, बनखेड़ी द्वारा अपने आदेश दिनांक 26–6–12 में यह उल्लेख करते हुए आवेदिका की नियुक्ति की गई है कि संहिता की धारा 230 के अंतर्गत किसी भी ग्राम कोटवार की मृत्यु होने/त्याग पत्र देने पर उक्त कोटवार के परिवार के सदस्यों में से किसी एक की ग्राम कोटवार पद पर नियुक्ति किए जाने के स्पष्ट प्रावधान है । श्रीमती पुष्पाबाई को कोटवार नियुक्त करते समय स्पष्ट किया गया कि नियुक्त कोटवार कार्य की क्षमता का शपथ पत्र प्रस्तुत करें वाद पृथक से नियुक्ति आदेश जारी हो, परन्तु आज

दिनांक तक आवेदिका द्वारा कोई भी अपनी कार्य क्षमता का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(5) ग्राम अन्हाई में कोटवार की नियुक्ति हेतु ग्राम सभा में दिनांक 26–1–2013 को मेरे पक्ष में प्रस्ताव हुआ, जिसमें लगभग 315 लोगों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं ।

(6) अनावेदक क्रमांक 1 संदीप मेहरा के पक्ष में गांव के लगभग 15–15 लोगों द्वारा शपथ पत्र ज्यूडिशियल स्टाम्प पर लिख कर दिया है कि संदीप मेहरा को कोटवार नियुक्त किया जावे एवं ग्राम अन्हाई में श्रीमती पुष्पाबाई द्वारा सही ढंग से कार्य न करने एवं सही सूचना व जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने से उसे हटाया जाये ।

(7) कोटवार का पद पैतृक नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा अपने दोनों आदेश में माना है कि कोटवार की नियुक्ति में तहसीलदार द्वारा अग्रतर का सिद्धांत मानते हुए नियुक्ति प्रदान की है, जबकि कोटवार नाथूराम द्वारा दिये गये त्याग पत्र से उसके निकट संबंधी को अग्रतर मान्यता का सिद्धांत लागू नहीं होगा, क्योंकि उक्त पद हेतु 6 आवेदक थे, सभी की योग्यता भिन्न–भिन्न है, सभी की आयु व कार्य शैली व व्यवहार देखा जायेगा । कार्य क्षमता का आकलन किया जावेगा, ग्राम पंचायत के अधिक लोगों का सर्वसम्मति से प्राप्त प्रस्ताव को मान्यता दिया जाकर ही कोटवार की नियुक्ति की जायेगी ।

(8) अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 3–5–2013 के विरूद्ध आवेदिका द्वारा आयुक्त के समक्ष अपील क्रमांक 193/12–13 प्रस्तुत की गई, जिसे स्वीकार न करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 3–5–2013 को सही पाते हुए यथावत रखा जाकर अपील खारिज की गई है । आयुक्त के आदेश के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जो स्वीकार योग्य न होकर निरस्ती योग्य है, क्योंकि दोनों अपीलीय न्यायालय के आदेश अनावेदक क्रमांक 1 के पक्ष में हैं ।

तर्कों के समर्थन में 1985 आर.एन. 258, 1987 आर.एन. 208 एवं 1998 आर.एन. 289 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए गए ।

5/ प्रत्युत्तर में आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका के अनपढ़ होने एवं अंकसूची फर्जी होने के संबंध में तर्क अधीनस्थ न्यायालयों में नहीं उठाए गए हैं, इसलिए उक्त तर्क इस न्यायालय में नहीं उठाए जा सकते हैं । यह भी

कहा गया कि आवेदिका की अंकसूची फर्जी नहीं है, और उक्त अंकसूची की जांच करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि ग्राम के भूतपूर्व कोटवार नाथूराम द्वारा त्याग पत्र दिये जाने पर तहसीलदार द्वारा त्याग पत्र स्वीकार किया जाकर कोटवार पद पर कोटवार की अस्थाई नियुक्ति हेतु इश्तहार का प्रकाशन किया गया । इश्तहार प्रकाशन उपरांत उभय पक्ष द्वारा कोटवार पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए । तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 230 के अंतर्गत ग्राम पंचायत से ठहराव प्रस्ताव मांगा गया । ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 26–1–12 को आवेदिका पुष्पाबाई की कोटवार पद पर नियुक्ति किए जाने की अनुशंसा की जाकर ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । तत्पश्चात दिनांक 16–2–12 को अनावेदक क्रमांक 3 रमेश के पक्ष में ठहराव प्रस्ताव पारित किया गया एवं दिनांक 26–3–12 को पुनः ठहराव प्रस्ताव पारित कर किसी भी आवेदनकर्ता की नियुक्ति कोटवार पर पर किए जाने पर सहमति नहीं होना व्यक्त किया गया । अतः तहसीलदार द्वारा आदेश में विस्तार से विवेचना करते हुए यह निष्कर्ष निकालते हुए कि अनावेदक क्रमांक 1 संदीप की ओर से नियुक्ति में कोई रूचि नहीं लेने एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने से उसका आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है । अनावेदक क्रमांक 2 सुरेश की शिक्षा कोटवार पद से अधिक होने के कारण एवं आवेदिका के पक्ष में सहमति दिये जाने से तथा कार्यवाही में हिस्सा नहीं होने से आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है । अनावेदक क्रमांक 4 के विरूद्ध थाना प्रभारी द्वारा प्रकरण दर्ज होने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है । अनावेदक क्रमांक 5 द्वारा आवेदिका की नियुक्ति किए जाने के संबंध में सहमति स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, आवेदिका की नियुक्ति अस्थायी कोटवार के पद पर की गई, जो कि विधिसंगत कार्यवाही नहीं है, क्योंकि जब ग्राम पंचायत द्वारा 3 ठहराव प्रस्ताव पारित किए गए थे, और अंतिम ठहराव प्रस्ताव में किसी भी आवेदनकर्ता की कोटवार पद पर अस्थायी नियुक्ति के संबंध में सहमति नहीं बनी थी, तब तहसीलदार को पुनः ग्राम सभा से स्पष्ट ठहराव प्रस्ताव आमंत्रित कर नियुक्ति की कार्यवाही करना चाहिए थी, इसलिए तहसीलदार का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी

द्वारा मुख्य रूप से यह निष्कर्ष निकालते हुए कि दिनांक 26–1–13 को ग्राम सभा द्वारा अनावेदक कमांक 1 संदीप मेहरा के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया गया है । यद्यपि ग्राम पंचायत द्वारा समय–समय पर प्रस्ताव में परिवर्तन किया गया है, परन्तु अंतिम अद्यतन प्रस्ताव अनावेदक कमांक 1 संदीप मेहरा के पक्ष में है । तहसीलदार द्वारा भूतपूर्व कोटवार के निकट संबंधी को अग्रमान्यता देते हुए आवेदिका की नियुक्ति की गई है, जबकि योग्यता समान होने पर ही अग्रमान्यता दिये जाने का प्रावधान है, और आवेदिका 5वीं उत्तीर्ण है, जबकि अनावेदक कमांक 1 संदीप मेहरा 8वीं पास है । योग्यता समान होने पर ही अग्रमान्यता दिये जाने का प्रावधान है, तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर अनावेदक कमांक 1 संदीप मेहरा की नियुक्ति अस्थायी रूप से कोटवार पद पर किए जाने के आदेश दिये गये, जो कि उचित नहीं है, कारण जहां ग्राम सभा द्वारा समय–समय पर विभिन्न प्रकार के ठहराव प्रस्ताव पारित किए गए हों, वहां ग्राम सभा के अंतिम प्रस्ताव पर विचार कर आदेश पारित करना उचित कार्यवाही नहीं है, क्योंकि नियुक्ति के संबंध में प्रथम ठहराव प्रस्ताव जिस व्यक्ति के पक्ष में पारित किया गया है, उसी की नियुक्ति की जाना उचित कार्यवाही है । जहां तक आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि इस आधार पर की गई है कि ग्राम सभा द्वारा आवेदिका के कोटवार पद पर कार्य करने अक्षम होना एवं अनावेदक कमांक 1 की नियुक्ति करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिससे सहमत होते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक कमांक 1 की कोटवार पद पद अस्थायी नियुक्त करने में कोटवारी नियम 4 के अनुरूप कार्यवाही की गई गई है, जबकि उनके द्वारा इस वैधानिक एवं तथ्यात्मक स्थिति पर विचार नहीं किया गया कि ग्राम सभा द्वारा समय–समय पर विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं, और आवेदिका की नियुक्ति 26–6–12 को हुई है, तथा लगभग 10 माह पश्चात उसे कार्य करने में अक्षम ठहराया गया है । यदि आवेदिका कोटवार पद पर कार्य करने में पूर्णतः अक्षम थी तब, उसके द्वारा 10 माह तक कार्य किस प्रकार किया गया । इस न्यायालय में अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह आधार लिया जा रहा है कि आवेदिका अनपढ़ है, और उसके द्वारा फर्जी मार्कसीट प्रस्तुत कर नियुक्ति ली गई है, अतः उपरोक्त स्थिति में इस प्रकरण में यह विधिक

आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए जाकर प्रकरण तहसीलदार को कोटवार पद पर स्थाई नियक्ति करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–2–14, अनुविभागीय अधिकारी, पिपरिया जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–5–2013 एवं तहसीलदार, बनखेड़ी जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–6–2012 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि कि कोटवार पद पर स्थायी नियुक्ति हेतु विधिवत इश्तहार का प्रकाशन किया जाकर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाये एवं संहिता की धारा 230 के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुरूप विधिवत कोटवार पद स्थायी नियुक्ति की जाये ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर